

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 18/6/26

विषय- भवन निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 कुल ₹ 30,85,47,545/- (तीस करोड़ पचासी लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ पैतालीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-03, पटना द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माण विभाग की निम्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹ 30,85,47,545/- (तीस करोड़ पचासी लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ पैतालीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है :-

क्र०	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी० संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	संरचना प्रमंडल संख्या-03 पटना।	32300	बिहार विधान सभा, पटना में संग्रहालय का निर्माण कार्य	28(म)/ 08.07.22	₹ 2,99,62,268/- (दो करोड़ निन्यानवे लाख बासठ हजार दो सौ अड़सठ रुपये)
2.	संरचना प्रमंडल संख्या-03 पटना।	32298	राजभवन, पटना के प्रस्तावित राजेन्द्र भवन, राज्यपाल सचिवालय एवं अतिथिगृह के निर्माण कार्य	46(म)/ 02.08.24	₹ 21,12,05,187/- (इक्कीस करोड़ बारह लाख पाँच हजार एक सौ सतासी रुपये)
3.	संरचना प्रमंडल संख्या-03 पटना।	32299	पूर्वी गार्डनर रोड, पटना में विभिन्न सरकारी कार्यालयों हेतु संयुक्त कार्यालय भवन का निर्माण कार्य	405(म)/ 15.03.24	₹ 6,73,80,090/- (छः करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार नब्बे रुपये)
कुल योग:-					30,85,47,545 / -
(तीस करोड़ पचासी लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ पैतालीस रुपये) मात्र।					

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-01-कार्यालय भवन-लघु शीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0101-भवन विपन्न कोड-03-4059010510101 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-03, पटना होंगे।
- इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(रमेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।